रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262985
CG-DL-E-08052025-262985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/वैशाख 18, 1947
No. 255] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2025

सा.का.नि. 298(अ).— केंद्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारो का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारो का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारो का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017 में,- नियम 11 के उपनियम (2) में "15 कार्यदिवस" अंकों और शब्दों के स्थान पर "7 कार्यदिवस" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

3. उक्त नियम के नियम 12 में-

(i) उपनियम (1) में, "21 कार्यदिवस" शब्दों के स्थान पर, "7 कार्यदिवस" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (2) के परंतुक में, "21 कार्यदिवस" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "7 कार्यदिवस" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 55/2021- भंडारण- II]

अनिता कर्ण, संयुक्त सचिव

टिप्पण- भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागारो का रजिस्ट्रीकरण नियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि.-165(अ) तारीख 23 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार संख्यांक सा.का.नि. 311(अ) तारीख 4 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2025

G.S.R. 298(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b) and (c) of sub-section (2) of section 50 of the Warehousing (Development and Regulation) Act, 2007 (37 0f 2007), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017, namely: -

1.(1) These rules may be called the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017,- in rule 11, in sub-rule (2) for the words "fifteen working days" the words "seven working days" shall be substituted;

3. In the said rules, in rule 12-

(i) in sub-rule (1), for the words " twenty - one working days", the words "seven working days" shall be substituted;

(ii) In sub-rule (2), in the proviso, for the words "twenty-one working days", the words "seven working days" shall be substituted.

[F. No. 55/2021- Stg-II]

ANITA KARN, Jt. Secy.

Note- The Warehousing (Development and Regulation) Registration of Warehouses Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, subsection (i), vide number G.S.R- 165(E), dated the 23rd February, 2017 and last amended vide number G.S.R. 311(E), dated the 4th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA